137/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

37/2023
मएस : 2023/385

इन्द्रजीतकौर पत्नी जोगेन्द्रसिंह पुत्री ज्ञानसिंह जाति कश्मीरी ब्राहाम्णसिख साकिन वार्ड नं. 10 पाला राम स्कॅल के पास रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री अनूपगढ़. । –:प्रार्थी

बनाम

श्री मती गुरमीत कौर पत्नी ज्ञानसिंह जाति कश्मीरी साकिन 22 एन.पी. तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
मनजीत सिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति कश्मीरी साकिन 22 एन.पी. तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
गुरमीतसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति कश्मीरी साकिन 22 एन.पी. तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
हरजीत सिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति कश्मीरी साकिन 22 एन.पी. तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
जयपाल सिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति कश्मीरी साकिन 22 एन.पी. तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
करनैलसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति कश्मीरी साकिन 22 एन.पी. तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम

तारीख रजू 15.12.2023

थतअधिवक्तागण

1. **श्री अजीतसिंह मुंजाल प्रार्थी अधिवक्ता।**
2. **श्री रविन्द्र कुमार बिश्नोई अधि. अप्रार्थी सं. 4–5**
3. **एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं. 1 ता 3–6**

–: निर्णय :–

दिनांक :–24.06.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं प्रार्थीया के पिता ज्ञानसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति कश्मीरी ब्राहाम्ण साकिन 22 एन.पी. को कश्मीरी रिफयूजी होने के कारण जीवों के आधार पर चक 22 एन.पी. के मु.नं. 4 पं.नं. 178/324 मु.नं. 27 पं.नं. 177/327 मु.नं. 28 पं.नं. 176/327 कुल 9.437 है. नहरी भूमि गुजारा हेतु पाकिस्थान से आये विस्थापित होने के कारण रियायती दर पर 300/– रूपये प्रति बीघा की दर से आवंटन की गई। उक्त भूमि में प्रार्थीया का हक व हिस्सा जन्म से ही उक्त भूमि में निहित था उक्त भूमि प्रार्थीया के पिता को जीवों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित होने के कारण गुजारे हेतु आवंटित हुई थी यह भूमि प्रार्थीया के पिता ज्ञानसिंह की खुद पैदा करता भूमि नहीं है यह भूमि पाकिस्तान में छोडी गई पैतृक संपति की एवज में आवंटन हुई थी। इस कारण प्रार्थीया के पिता को जरिये वसीयत उक्त भूमि को स्थान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं था। इस कारण उसके द्वारा की [illegible] दिनांक 12.09. 2006 वसीयत करने की तिथि से ही विधि विरूद्ध [illegible] थी। वसीयत दिनांक 12.09.2006 कूटरचित तरीके से तैयार की गई है [illegible]सिंह की मृत्यु महा अगस्त 2007 में हुई है। ज्ञानसिंह द्वारा जो वसीयत [illegible] 12.09.2006 को करवाई गयी है वह पंजीकृत नहीं है [illegible] वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत ने पटवारी हल्का करड़वाली को एक पत्र जारी किया कि वसीयत की सम्पूर्ण जांच कर ली है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 1 के अनुसार वसीयत का इंतकाल

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

137/23

कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। ग्राम पंचायत को अपंजीकृत वसीयत के इंतकाल दर्ज करे आदेश पटवारी हल्का को देने का अधिकार नहीं है। उनके द्वारा बिना किसी वैध अधिकार के व बिना पत्र क्रमांक व दिनांक लगाये पटवारी को इंतकाल तस्दीक करने के आदेश दे दिये गये हैं। जो विधि विरूद्व कानूनन गलत है। पटवारी हल्का ने बिना किसी जांच य मृत्यु प्रमाण पत्र व बिना मूल वसीयत के इंतकाल दर्ज कर ग्राम पंचायत से दिनांक 14.12.2007 को स्वीकृत करवा लिया जबकि किसी भी वसीयत के इंतकाल बाबत् तहसीलदार द्वारा समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर व मृतक के समस्त वारिसों को सुनने के बाद इंतकाल के आदेश दिये जाते है। ग्राम पंचायत द्वारा न तो ज्ञान सिंह के वारिसों को सुना गया ना ही किसी समाचार पत्र में कोई सूचना प्रकाशित करवाई गइ। ज्ञानसिंह सात जायज वारिस थें। जायज वारिस गुरमीतकौर पत्नी इन्द्रजीत कौर पत्नी इन्द्रजीत कौर पुत्री मनजीतसिंह, गुरमीतसिंह, हरजीतसिंह, जयपालसिंह व करनेलसिंह एवं प्रार्थीया इन्द्रजीतकौर है उक्त भूमि ज्ञानसिंह की खूद पैदा कर्ता न होने के कारण उसे वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था इस कारण उक्त भूमि का इंतकाल सभी वारिसों के नाम दर्ज होना चाहिए था। उक्त भूमि जरिये वसीयत इंतकाल गुरमीतकौर के नाम राजस्व रिकार्ड में इंतकाल संख्या 205 दिनांक 14.12.2007 हो दर्ज हुई। इस प्रकार यह भूमि गुरमीतकौर की स्वयं पैदाकर्ता भूमि नहीं थी। उसे यह भूमि वसीयत के कारण प्राप्त हुई जबकि वसीयतकर्ता ज्ञानसिंह को भी इस भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि यह उसकी स्वयं पैदा कर्ता भूमि नहीं थी। अप्रार्थीगण गुरमीतकौर ने यह भूमि अपने पुत्रों क्रमशः करनैलसिंह, जयपालसिंह, हरजीतसिंह, गुरमीतसिंह, मनजीतसिंह को जरिये दान पत्र दिनांक 21.06.2023 व 26.06.2023 को दान द्वारा हस्तान्तरण कर दी। उसके द्वारा करनैलसिंह को 2.227 है., जयपलासिंह को 1.265 है., हरजीतसिंह को 1.265 है., गुरमीसिंह को 2.277 है., मनजीतसिंह को 2.253 है. कुल 9.437 है. यानि की समस्त भूमि दान कर दी विधिक रूप से उसे विरास्तन भूमि को दान करने का कोई अधिकार कानूनी तौर पर नहीं था। गुरमीतकौर द्वारा दान पत्रों से दिनांक 21.06.2023 व 26.06.2023 को दान की गई उक्त भूमि के दान पत्र उक्त तिथि से ही प्रभाव शून्य है क्योंकि यह भूमि उसकी खुद पैदाकर्ता भूमि नहीं हैं। विरास्तन भूमि में सभी वारिसों का हक व हिस्सा होता हैं। इस प्रकार प्रार्थीया का उक्त भूमि में से सातवां हिस्सा यानि की 1.352 है. भूमि हिस्सा में आती है जिसे वह पाने की कानूनी रूप से हकदार हैं प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को कई बार उक्त भूमि में से उसके हिस्सा की भूमि उसे दिये जाने हेतु कहा, परन्तु वह टालमटोल करते रहे अंतिम बार उसे दिनांक 14.011.2023 को कहा गया परन्तु वह हिस्सा देने से स्पष्ट रूप से इंकार हो गये बस यही तारीख बिनाया मुखास्मत है। उक्त वसीयत तथा दानपत्र उनके निष्पादन की दिनांक से ही विधि विरूद्व हाने के कारण प्रभाव शून्य है जिन्हे प्रभाव शून्य करवाने की प्रार्थीया अधिकारी है तथा अपने हिस्सा की भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर भूमि पाने की अधिकारी है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को ये[illegible]न्तरण कर खुर्द बुर्द करना चाहते है। यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थीया का अपूर्णनीय क्षति होगी। जिससें उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाना उचित होगा ताकि अनावश्यक वादकरण पैदा न हो। जब तक प्रार्थना पत्र का नि[illegible] तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। तहसीलदार रायसिंहनगर भू–धारक है इसलिए पक्षकार बनाया गया। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

137/23

ति तीनों बिन्दू वादिया के पक्ष में है जिसमें वादिया का हक व अधिकार है। अतः आवेदन पत्र 212 आरटीएक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि वह वसीयत दिनांक 12.09.2006 मृतक ज्ञानसिंह एवं दान पत्र गुरमीतकोर बहक मनजीतसिंह, गुरमीतसिंह, हरजीतसिंह, जयपालसिंह, करनैलसिंह पिसरान ज्ञानसिंह साकिन 22 एनपी तहसील रायसिंहनगर दिनांक 21.06.2023 व 26.06.2023 को प्रभाव शून्य घोषित होने के बाद निर्णय तक भूमि चक 22 एनपी नहरी के मुरब्बा नं. 4 पं.नं. 178/324 मु.नं. 27 पं.नं. 177/327 मु.नं. 28 पं.नं. 176/327 कुल 9.437 है. नहरी भूमि की रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे एवं प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी कि जावे की वह वाद ग्रस्त भूमि की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 6 के रजि. सम्मन होने के उपरांत न्यायालय मे हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गइ। अप्रार्थी सं. 4 व 5 की तरफ से श्री रबिन्द्र कुमार बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा के साथ प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र आधारहीन,मिथ्या व कपोल कल्पित तथ्यों व फर्जी व कूटरचित दस्तावेज पर आधारित होने के कारण नाकबिल चलने के होने से प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टिया नाकाबिल चलने के है। चक 22 एनपी के मुरब्बाजात नं. 4–27–28 की कुल 9.437 है. नहरी भूमि ज्ञानसिंह को पाक विस्थापित के तोर पर सदस्यों की संख्या के आधार पर या अन्य श्रेणी में आवंटन न होकर खरीदशुद्वा स्वअर्जित सम्पति होने से उन्हे एकल व स्वतंत्र रूप से भूमि पर हक–हकूक व अधिकार प्राप्त होकर अपने मृत्यु तक काबिज काश्त रहे। जिन समस्त तथ्यों का भंलीभांति ज्ञान व जानकारी प्रारंभ से ही प्रार्थीया को हासिल होने के बावजूद प्रार्थीया ने मिन अप्रार्थीगण को नाहक हेरान परेशान करने व बेजा नुकसान पहुचाने के लिए पेश किया हैं। विवादित भूमि श्री ज्ञानसिंह को आवंटित न होकर खरीदशुद्वा स्वअर्जित सम्पति होने से उसमें प्रार्थीया या अन्य संतान का जन्म से कोई हित व अधिकार निहित नहीं था। और श्री ज्ञानसिंह को एकल व स्वतंत्र रूप से हरप्रकार के हक–हकूक व अधिकार प्राप्त होकर वे ही काबिज थें और उन्हे अपने जीवनकाल में भूमि अंतरित करने व वसीयत निष्पादित करवाने क पूर्णतया विधिक अधिकार हासिल थे। ज्ञानसिंह ने पूर्ण होशाहवास में बिला किसी दबाव व प्रभाव के स्वस्थ व स्थिर चित से अपनी संतानों की जानकारी में रोबरू गवाहान अपनी धर्मपत्नी अप्रार्थीया सं. 1 श्रीमती गुरमीतकौर के पक्ष में दिनांक 12.09.2006 को निष्पादित करवा नोटरी से प्रमाणित करवा दी जो ज्ञानसिंह की मृत्यु के रोज प्रभाव में आकर उनके वसीयतन उतराधिकारी अप्रार्थीया सं0 1 गुरमीत को विवादित रकबा पर समस्त हकूक व अधिकार एकल व स्वतंत्र रूप से प्राप्त होकर अभिलेखों में अप्रार्थीया सं. 1 के नाम स नामान्तरित होकर काबिज हुई। जिस वसीयत का ज्ञान प्रारंभ शुरू से प्रार्थीया को था। वसीयत [illegible] नियमानुसार व पूर्ण जांच उपरांत दर्ज व स्वीकृत हुआ। प्रार्थीया [illegible] को शुरू से ज्ञान था। वह न तो सदभावी है न ही क्लीनहैण्ड से न्यायालय आयी है। विवादित रकबा श्री ज्ञानसिंह की स्वअर्जित सम्पति होने से प्रार्थीया व अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार जन्म से प्राप्त नहीं थे। मिन अप्रार्थीगण की माता अप्रार्थीया सं. 1 गुरमीतकौर के पक्ष में श्री ज्ञानसिंह द्वारा निष्पादित वसीयत पूर्णतया विधि सम्मत, नियमानुसार, प्रभावशील व वैध दस्तावेज है। वसीयत का इन्तकाल संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:31:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

05 / 14.12.2007 विधिसम्मत व नियमानुसार दर्ज व स्वीकृत हुआ। विवादित
मि ज्ञानसिंह की स्वअर्जित सम्पति थी। काननून स्वअर्जित सम्पति की श्रेणी की
ने से स्वैच्छया अंतरण के अधिकार होने से उन्होने अपने पुत्रों मिन अप्रार्थीगण
व अन्य के पक्ष में जरिये पंजीकृत दस्तावेज दान–पत्रों दिनांक 21.06.203 व 26.
06.2023 समस्त हित व अधिकारों सहित अंतरित कर कब्जा सुपुर्द किया गया।
अप्रार्थीया सं. 1 द्वारा मिन अप्रार्थीगण अन्य के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत
दस्तावेजात दान–पत्र वैध व प्रभावशील दस्तावेज दान–पत्र वैध व प्रभावशील
दस्तावेज है जिन्हे सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती हैं। चूमि
विवादित रकबा स्वअर्जित श्रेणी का होने से प्रार्थीया का जन्म से सातवां हिस्सा
नहीं बनता है चूकि विवादित रकबा स्वअर्जित सम्पति होने व उसका अन्तरण वैध
व प्रभावशील दस्तावेज की रूह से होने से प्रार्थीया का कोई हक व अधिकार
जन्म से नहीं बनता ना ही उसका कब्जा काश्त रहा है ना ही वर्तमान में है,
इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति क बिन्दू
प्रार्थीया के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अतिरिक्त आपतिया में भी
उक्त कथनों का वर्णन किया गया है। प्रार्थीया सद्भावी नहीं है ना ही
क्लीनहेण्ड से न्यायालय में आई है। उसने वाद मिथ्या, साक्ष्यहीन व आधारहीन
तथ्यों पर अप्रार्थीगण को नाहक हेरान परेशान करने व नुकशान पहुंचाने के
आशय से पेश किया है जो काबिल निरस्ती के है ओर मिन अप्रार्थीगण प्रार्थीया
से विशेष हर्जाना कम से कम 10 हजार रूपये पाने के अधिकारी हैं। प्रार्थना पत्र
इसी स्तर पर खारिज किया जावे।
बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे
प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि उकत विवादित भूमि विरास्तन
सम्पति है अप्रार्थीर्या को मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि को बैय करने
बाज व ममनु रहें तब तक रकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु दिनांक
15.12.12023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई करने हेतु निवेदन किया।
वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को
दोहराते हुये कथन किया विवादित भूमि ज्ञानसिंह स्वयं को आवंटन हुई थी
स्वअर्जित सम्पति होने के कारण ज्ञानसिंह को बैयनामा, वसीयत करवाने का
जन्म से अधिकार था। प्राथीर्या विवादित भूमि के जो बैयनामा करवाये गये उसे
खारिज करवाना चाहती है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है अतः
प्रार्थीर्या का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।
बहस उभपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन
4. किया। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससें यह प्रमाणित
होता हो कि भूमि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति को जीवों के
आधार पर आवंटित की हो। आवंटन दाखिला रजिस्टर की प्रति भी पेश नहीं की
गई है। इसी के साथ प्रार्थीया अप्रार्थीया गुरमीतकौर के द्वारा जो दानपत्र दिनांक
21.06.2023 व 26.06.2023 जरिये अपने पुत्रों क्रमशः करनैलसिंह, जयपालसिंह,
हरजीतसिंह, गुरमीतसिंह, मनजीतसिंह के नाम भूमि करवाई गई उक्त दानपत्र
को खारिज करवाना चाहती है उक्त दस्तावेज [illegible] ा नहीं इसको
साबित करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं [illegible] सम्पति ज्ञानसिंह की
स्व अर्जित है। इसलिए प्रार्थीया प्रथम दृष्टया प्रकरण [illegible] संतुलन एवं
अपूणीर्य क्षति के बिन्दूओं को सिद्ध करने में असफल [illegible] है इसलिए प्रार्थना पत्र
धारा 212 आरटीएक्ट को स्वीकार [illegible] नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:31:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र धारा 212 आरटीएक्ट को अस्वीकार/खारिज किया जाता है दिनांक 15.12.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली निर्णित होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

आदेश आज दिनांक **24.06.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर